संख्या- 54 /2019/ 2668 /71-2-19-के0जी0एम0यू0-58/2017

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,

लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 18 नवम्बर, 2019

विषयः- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में स्थापित बर्न्स एवं रिकांस्ट्रक्टिव सर्जरी यूनिट के संचालन हेतु गैर शैक्षणिक संवर्ग के पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-6365/योजना/2019, दिनांक 12.09.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में स्थापित बर्न्स एवं रिकांस्ट्रक्टिव सर्जरी यूनिट के संचालन हेतु इस शासनादेश के संलग्नक के अनुसार गैर-शैक्षणिक संवर्ग के 84 पदों (क्रमांक-1 से 15 पर अंकित पदनामों के सापेक्ष नियमित श्रेणी के 39 पदों एवं क्रमांक-16 व 17 पर अंकित क्रमशः 36 व 09 पदों को आउटसोर्सिंग पर) को अस्थायी रूप से दिनांक 29.02.2020 तक के लिए सृजित किये जाने एवं संलग्नक के क्रमांक-18 से 21 पर अंकित पदों क्रमशः-स्वीपर, गेट कीपर, चपरासी (Peon) एवं वाशर-मैन की सेवाएं आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, बशर्ते कि इन पदों को इससे पूर्व ही बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय।

2- चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सृजित पद मानकों तथा कार्यात्मक/वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप हैं। उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि सृजित पद एम0सी0आई0 गाइडलाइन्स तथा अन्य अपेक्षित मानकों के अनुरूप है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक ''2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनंसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0366-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-3/1366/दस-2019, दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-54 /2019/ 2668(1)/71-2-19-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्राशिक्षण, जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
6. विभागाध्यक्ष, के0जी0एम0यू0, प्लास्टिक सर्जरी विभाग, लखनऊ।
7. वित ई-3/नियोजन अनुभाग-4/ (आय-व्ययक)-2
8. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग, उ0प्र0।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।